



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272965
CG-DL-E-30052026-272965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]
No. 352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीआर/जी/165/2023/डीडी/282/2023/डीसी/1891/2024 और पीआर/जी/166/2023 (क्लब्ड), पीआर/जी/148/2023/डीडी/204/2023/डीसी/1892/2024 और पीआर/जी/188/2023/डीडी/283/2023/डीसी/1893/2024.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. मुनि कुमार गुबिलिगरी (सदस्यता संख्या 234106), नंबर 18, पुराना नंबर 1612, दूसरी मंजिल, ईस्ट एंड मेन रोड, जयनगर, 9वां ब्लॉक, बेंगलुरु (कर्नाटक)-560069 को वृत्तिक और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात नीचे दी गई तालिका के अनुसार आदेश दिया :

मामला संख्या	खंड/मद जिसके अधीन दोषी ठहराया गया हो	दिया गया दंड
पीआर/जी/165/2023/डीडी/282/2023/डीसी/1891/2024 और पीआर/जी/166/2023(क्लब्ड)	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) और पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2)	नाम को 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 30 (तीस) दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।
पीआर/जी/148/2023/डीडी/204/2023/डीसी/1892/2024	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग-I की मद (7)	नाम को 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।
पीआर/जी/188/2023/डीडी/283/2023/डीसी/1893/2024	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग-I की मद (7)	नाम को 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

समिति ने यह भी आदेश दिया कि तीनों मामलों में दंड एक साथ चलेगा। अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. मुनि कुमार गुबिलिगरी (सदस्यता संख्या 234106) का नाम 29 मई, 2026 से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./121/2026-27]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. PR/G/165/2023/DD/282/2023/DC/1891/2024 and PR/G/166/2023(Clubbed), PR/G/148/2023/DD/204/2023/DC/1892/2024 and PR/G/188/2023/DD/283/2023/DC/1893/2024.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Muni Kumar Gubiligari (Membership No. 234106), NO 18, Old No. 1612, 2nd Floor, East End Main Road, Jayanagar, 9th Block, BENGALURU(Karnataka)- 560069**, Guilty of Professional and/or Other Misconduct and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules ordered as per the table below:

Case No.	Clauses/Item under which held Guilty	Punishment awarded
PR/G/165/2023/DD/282/2023/DC/1891/2024 and PR/G/166/2023(Clubbed)	Item (7) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949	Removal of name from the Register of Members for a period of 120(One Hundred and Twenty) days and also imposed a Fine of Rs. 20,000/-(Rupees Twenty Thousand) only, to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 30(Thirty) days
PR/G/148/2023/DD/204/2023/DC/1892/2024	Item (7) of Part I of Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949	Removal of name from the Register of Members for a period of 60(Sixty) days
PR/G/188/2023/DD/283/2023/DC/1893/2024	Item (7) of Part I of Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949	Removal of name from the Register of Members for a period of 90(Ninety) days

The Committee also ordered that the punishment shall run concurrently in all the three matters. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Muni Kumar Gubiligari (Membership No. 234106)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of **120(One Hundred and Twenty) days with effect from 29th May, 2026.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./121/2026-27]